सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 30, बुधवार, शाके 1944-सितम्बर 21, 2022
Bhadra 30, Wednesday , Saka 1944- September 21, 2022

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

अधिसूचना

जोधपुर, जून 17, 2022

संख्या: एफ.37/भूउप/(18/2019)/2022/289 :-राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 66/4 संयुक्तिकृत भूखण्ड संख्या 1, 2, 3 (भाग) का क्षेत्रफल 2488.86 वर्गमीटर भूमि का पट्टा विलेख अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार दिनांक-11 जुलाई, 2020 (दैनिक नवज्योति) एवं दिनांक-11 जुलाई, 2020 (राजस्थान पत्रिका) के द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये थे। उक्त प्रकरण के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

<u>उपान्तरण</u>

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 25 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आवेदित भूमि पट्टा विलेख अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त उपान्तरण माननीय उच्च न्यायालय में मास्टर प्लान में भू-उपयोग उपान्तरण से संबंधी विचाराधीन रिट पिटीशन संख्या 1554/04 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक-17 जून, 2022 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राज-पत्र के असाधारण अंक एवं राज्य के दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात् ही मान्य होगी।

प्राधिकरण स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की आज्ञा से,

निदेशक आयोजना,
जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।